भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 213

दिनांक 03.02.2021/14, माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

शरणार्थी संबंधी आंकड़े

213. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में रहने वाले शरणार्थियों, शरण मांगने वालों और राष्ट्रविहीन लोगों के संबंध में आंकड़े रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके मूल देश और उनके धर्म के अनुसार वर्तमान में देश में कुल कितने शरणार्थी, राष्ट्रविहीन शरणार्थी, शरण मांगने वाले और राष्ट्रविहीन लोग हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे आंकड़ों को न रखने के क्या कारण हैं?

उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): भारत शरणार्थियों के दर्जे से संबंधित 1951 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और उससे संबंधित 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। शरणार्थियों/शरण मांगने वालों और राष्ट्रविहीन व्यक्तियों समेत सभी विदेशी राष्ट्रिक विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और नागरिकता अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। चूंकि ऐसे अवैध प्रवासी बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के चोरी-छिपे और छलपूर्वक देश में प्रवेश करते हैं, इसलिए शरणार्थी होने का दावा करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों, शरण मांगने वाले लोगों और राष्ट्रविहीन व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

*****